पटना में दिनांक–02 मई, 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग

1. अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना में सहायक निदेशक (राजपत्रित), समूह–'ख', वेतन स्तर–7 के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की अनुशंसा के आलोक में नियुक्त श्रीमती रोजी श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (राजपत्रित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण/नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम–14(x) के तहत सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरहर्ता होगी, का वृहत् दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

2. पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4046, दिनांक –25.07.2018 द्वारा प्रति चार पंचायतों पर एक की दर से कुल 2096 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक के स्वीकृत पद के स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक–एक, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक–एक तथा प्रत्येक जिला परिषद् के लिए दो–दो लेखापाल –सह–आई०टी० सहायक (संविदा आधारित) के पदों के प्रावधान की स्वीकृति एवं इस प्रकार पूर्व से सृजित 2096 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के संविदा आधारित पदों के अतिरिक्त 6570 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक के संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव।

2. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

3. गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर दिनांक–01.10.2023 के प्रभाव से प्रतिबंध की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

Scanned with CamScanner

परिवहन विभाग

4. परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों का परिचालन दिनांक–30.09.2023 की मध्यरात्रि से प्रतिबंधित किये जाने एवं बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 का अवधि विस्तार दिनांक–31.03.2024 तक तथा क्षेत्र विस्तार गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में किए जाने एवं इस योजना में पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर के लिए तिपहिया मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का प्रावधान जोड़ने की स्वीकृति के संबंध में। 4. स्वीकृत।

वित्त विभाग

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा 44,429.64 करोड़ रूपये बाजार ऋण सहित कुल 49,365.69 करोड़ रूपये के ऋण उगाही की स्वीकृति। 5. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गए दिशा–निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक मिशन शक्ति योजना को अंगीकृत करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल ₹59,80,52,417 (उनसठ करोड़ अस्सी लाख बावन हजार चार सौ सतरह रूपये) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 6. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

7. समाधान यात्रा के क्रम में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 500 दिनांक 23.06.2022 द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) के अंतर्गत पात्र चलन्त (Locomotor) दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान में 10,000 की अधिसीमा को समाप्त करते हुए योजना को चालू रखने की स्वीकृति। 7. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

8. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या –06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर–02) के 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली, 2023 की स्वीकृति। 9. स्वीकृत।

Scanned with CamScanner

शिक्षा विभाग

10. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के 39758 सृजित पद, जिला संवर्ग के मूल कोटि के 40185 पद, जो मरणशील हो गए है एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/नगर प्रारंभिक शिक्षक में क्रमशः मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के 5534 एवं 1745 सृजित पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 85477 एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विशेष विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के 1745 पद सृजित करने के संबंध में।

10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 57618 सृजित पद एवं माध्यमिक शिक्षक के 33186 सृजित पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 57618 पद एवं वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 33186 पदों के सृजन के संबंध में।

11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. बिहार राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्रदान करने हेतु अनापत्ति निर्गत करने की शक्ति शिक्षा विभाग, बिहार, पटना में निहित करने की स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

13. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में रबी एवं खरीफ विपणन मौसमों में क्रमशः गेहूँ एवं धान/चावल की अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में वित्तीय संस्थानों यथा व्यावसायिक बैंकों, नाबार्ड आदि से प्राप्त किये जाने वाले ऋण कुल 10,000 (दस हजार) करोड़ रूपये की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

13. स्वीकृत।

Scanned with CamScanner

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

14. पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना को पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत बनाये रखने हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 15, 2016) के परिशिष्ट–I की कंडिका–II(1) को विलोपित करने की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

15. ₹41,71,16,00,000.00 (एकतालीस अरब एकहत्तर करोड़ सोलह लाख रूपये) मात्र की राशि की लागत से 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 93.00 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग रू० 493.00 करोड़) की अनुमानित लागत पर वित्तपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–1 की वर्त्तमान अनुमानित लागत रू० 299.41 करोड़ (दो सौ निन्यानवे करोड़ इकतालीस लाख) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं शेष बचे हुए कार्यों को राज्य योजना मद से पूर्ण कराने के संबंध में। 16. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 38.42 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग रू० 253.57 करोड़) की अनुमानित लागत पर वित्तपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–2 की वर्त्तमान अनुमानित लागत रू० 331.35 करोड़ (तीन सौ इकतीस करोड़ पैंतीस लाख) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं शेष बचे हुए कार्यों को राज्य योजना मद से पूर्ण कराने के संबंध में। 17. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 60.47 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग रू० 376.21 करोड़) की अनुमानित लागत पर वित्तपोषित गया जलापूर्ति योजना की वर्त्तमान अनुमानित लागत रू० 485.84 करोड़ (चार सौ पचासी करोड़ चौरासी लाख) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं शेष बचे हुए कार्यों को राज्य योजना मद से पूर्ण कराने के संबंध में। 18. स्वीकृत।

Scanned with CamScanner